Annexure - II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

1 Hc Folder

संदर्भ संख्या F09119 /सी-१/एन०ओ०सी०/जी- ४१९/२००६

दिनांक 27-11-06

सेवा में,

मे0 मैसर्स शोमेन क्लब एण्ड इन्स प्रा० लि०,
(इंदिरापुरम हेबिटेट सेन्टर),
५१२, कार्मिर्शयल काम्पलेक्स, होटल ली मेरिडियन, विंडसर प्लेस,
जनपथ, नई दिल्ली।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १०/८/२००६ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : प्लाट संख्या-२६, अहिंसा खण्ड-१, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ० प्र०

(ख). उत्पादन : शाप, मल्टी प्लेक्स होटल (१२० कमरे)

[illegible] माल :..

....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :..

शून्य

....

....

१५०० के०वी०ए० के तीन एवं ५०० के०वी०ए० के एक डी०जी० सेट हेतु

(ड.) प्रयुक्त ईधन :.........डीजल-आवश्यकतानुसार..

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण--पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ......२१८ किलोलीटर/दिन...... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......३१/३/०७...... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मैसर्स शेमेन क्लब एण्ड इन्स प्रा० लि०, (इंदिरापुरम हेबिटेट सेन्टर)५१२, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल ली मेरिडियन, विंडसर प्लेस, जनपथ, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावानुसार कुल क्षेत्रफल ५०८०० वर्गमीटर एवं बिल्टअप क्षेत्रफल (ग्राउन्ड कवर एरिया)१८१३२ वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

८. उद्योग प्रस्तावानुसार एसटीपी का निर्माण डिशइनफेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करें तथा यथासम्भव शुद्धिकृत उत्प्रवाह का प्रस्तावानुसार ग्रीनबेल्ट एवं गार्डनिंग हेतु प्रयोग करें।

९. उद्योग शुद्धिकरण व्यवस्थाओ हेतु अलग से डी०जी०सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावानुसार किया जायें तथा बायोडिग्रेडेबुल वेस्ट के लिए वर्मीकल्चर किया जायें।

११. समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जाये।

१२. उद्योग प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१३. उद्योग नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१४. उद्योग पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन २००६ संबंधी अधिसूचना दिनॉक १४/९/०६ के अन्तगर्त सम्बन्धित से क्लीयरेन्स प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम १९७४ एवं वायु अधिनियम १९८१ के प्राविधानों के अन्तगर्त निर्गत किया जा रहा है।

१५. योजना में प्रस्तावित (अगर हो) प्राथमिक चिकित्सा/अस्पताल/मेडिकल कालेज आदि से जनित बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण, उपचार आदि व्यवस्था बायोमेडिकल रूल्स के अनुसार किया जायें अथवा उक्त वेस्ट की प्राधिकृत संयुक्त बायोमेडिकल वेस्ट उपचार फैसिलिटी को बायो-मेडिकल वेस्ट रूल्स, १९९८ के अनुसार भेजे।

१६. बैंक गारन्टी की शर्तो का अनुपालन न करने की दशा में प्रेषित बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत् कार्यवाही भी की जा सकती है।

१७. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु (संख्या ७ से १४ संवेदनशील शर्ते हैं, इनका समयबद्ध अनुपालन न करने की दशा में उद्योग द्वारा दी गई बैंक गारण्टी उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जाएगी।

१८. रू. ५.० लाख की बैंक गारन्टी १५ दिन के अन्दर बोर्ड में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। B.G. प्राप्त न होने की दशा में यह N.O.C. निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न किये जाने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....३१/३/०७............................ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :.................. गाजियाबाद ....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :.................. गाजियाबाद ....

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी